सत्यमेव जयते

पंचदश बिहार विधान-सभा के द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एवं सप्तम सत्रों के अनागत, अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल प्रश्नों की संख्या 102(एक सौ दो) ।

विषय-सूची

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
	द्वितीय सत्र		
1	डॉ॰ अच्युतानन्द	ट-23	1
	चतुर्थ सत्र		
1	श्री अवनीश कुमार सिंह	द-21	1
2	श्री रामलषण राम ''रमण''	पुन-8	1-2
3	श्री ललन कुमार	ग्राम्य-72	2
4	श्री विनोद प्रसाद यादव	पुन-1	2-3
	पंचम सत्र		
1	श्री अमन कुमार	ख-2	3
2	श्री अशोक कुमार	द-92	3-4
3	श्री अख्तरुल इसलाम शाहीन	ग्राम्य-173	4
4	श्री बैद्यनाथ सहनी	रा-55	4-5
5	श्री जितेन्द्र कुमार राय	द-82	5
6	श्री कृष्णनन्दन पासवान	द-234	6
7	श्री ललित कुमार यादव	रा-61	6
8	श्री मोती लाल प्रसाद	रा-21	7
9	श्रीमती मुन्नी देवी	रा-24	7
10	श्री पवन कुमार जायसवाल	ग्राम्य-310	7

186 एल॰ए॰--

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	2	3	4
11	श्री राजेश सिंह	द-196	7-8
12	श्री राम सेवक सिंह	ग्राम्य-399	8
13	श्री राम बालक सिंह	पथ-175	8
14	श्री सबा जफर	द-89	8-9
15	श्री सतीश कुमार	द-136	9

षष्ठम सत्र

1	श्री अरूण शंकर प्रसाद	पंच-3	9-10
2	मो० आफाक आलम	ग्राम्य-70	10
3	श्री आनन्दी प्रसाद यादव	ग्राम्य-52	10-11
4	डॉ० अब्दुल गफूर	ग्राम्य-37, ग्राम्य-38	11
5	श्री अरूण कुमार सिन्हा	टन-3	11-12
6	श्री अमरनाथ गामी	य-38	12
7	श्री बैद्यनाथ सहनी	पथ-27	12-13
8	श्री चन्द्रशेखर	ग्राम्य-69	13
9	श्री दिनेश कुमार सिंह	त्र-27	13-14
10	श्री दिनकर राम	च-2	14
11	श्रीमती देवन्ती यादव	ग्राम्य-41	14-15
12	श्री दुलालचन्द गोस्वामी	य-14	15
13	डॉ० इजहार अहमद	पथ-6	15
14	श्री जनार्दन मांझी	ग्राम्य-75	16
15	श्री कुमार शैलेन्द्र	ग्राम्य-19, ग्राम्य-15	16-17
16	डॉ० कृष्णनन्दन यादव	ग्राम्य-07, ग्राम्य-06	17-18
17	श्री मंजीत कुमार सिंह	ग्राम्य-14	18
18	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	ग्राम्य-72	18
19	श्रीमती मनोरमा प्रसाद	ग्राम्य-33, त्र-4	18-19
20	श्री मनीष कुमार	त्र-32	19-20
21	श्री पद्म पराग राय वेणु	ग्राम्य-46	20
22	श्रीमती पूनम देवी यादव	टन-2	20
23	श्री राजेश सिंह	त्र-19	20
24	श्री राजीव रंजन	त्र-30	21
25	श्री राम सेवक हजारी	ग्राम्य-2	21-22
26	डॉ० रामानन्द यादव	टन-1, ग्राम्य-5	22-23
27	श्री रत्नेश सादा	ग्राम्य-22	23-24

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	2	3	4
28	श्री रमेश ऋषिदेव	ग्राम्य-65	24
29	श्री रामधनी सिंह	त्र-03	24
30	श्री रामदेव महतो	त्र-7	25
31	डॉ० रंजू गीता	त्र-9	25
32	श्री राहुल कुमार	त्र-24	25
33	श्री राजेश्वर राज	त्र-28	26
34	श्री सबा जफर	ग्राम्य-84, ग्राम्य-97	26
35	श्री संतोष कुमार	ग्राम्य-77, ग्राम्य-78	27
36	श्री सुबोध राय	त्र-13	27-28
37	श्री शैलेश कुमार	ग्राम्य-81	28
38	श्री तारकिशोर प्रसाद	त्र-2, च-1	28-29
39	श्रीमती उषा सिन्हा	ग्राम्य-88	29-30
40	श्री विक्रम कुँवर	त-2	30
41	श्री विनोद प्रसाद यादव	ग्राम्य-20	30-31
42	श्री विनोद कुमार सिंह	ग्राम्य-67	31

सप्तम सत्र

1	श्री अवधेश राय	अ०सू०-1	31-32
2	श्री आनन्दी प्रसाद यादव	पुन-1	32
3	श्री अरूण शंकर प्रसाद	सामु-1	32-33
4	श्री अशोक कुमार	सामु-4	33
5	श्री अनिल सिंह	पथ-23	33-34
6	श्री अरूण कुमार सिन्हा	पथ-3	34
7	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	पथ-17	34-35
8	श्री चितरंजन कुमार	र-1	35
9	श्री छोटेलाल राय	सामु-8	35
10	श्री दामोदर सिंह	पुन-2	36
11	श्रीमती देवन्ती यादव	पथ-6	36
12	श्रीमती गुड्डी देवी	च-1, पथ-5	36-38
13	श्रीमती गुलजार देवी	पथ-11	38
14	श्री ललन राम	पथ-21	38
15	श्रीमती लेशी सिंह	पथ-24	38
16	श्रीमती मुन्नी देवी	ई०-1	39
17	श्री मंजीत कुमार सिंह	पथ-8, पथ-7	39-40
18	श्री प्रदीप कुमार	पथ-13	40
19	श्री प्रमोद कुमार	पथ-19	40-41
20	श्रीमती पूनम देवी यादव	पथ-14	41

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	2	3	4
21	डॉ० रंजू गीता	पथ-1	41-42
22	श्री राम प्रवेश राय	पथ-18	42
23	श्री सदानन्द सिंह	पथ-16	42-43
24	श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह	द-41	43
25	श्रीमती सुनीता सिंह	पथ-4	43-44
26	डॉ० उषा विद्यार्थी	च-2	44
27	श्री वीरेन्द्र सिंह	सामु-5	44
28	श्री विनोद प्रसाद यादव	सामु-3, पथ-2	45-46
29	श्री विनय बिहारी	ज-3	46

किसानों को मुआवजा देना

ट-23. डॉ० अच्युतानन्द--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार, जन्दाहा, महुआ प्रखण्ड के सैकड़ों गाँवों में पिछले वर्ष बाढ़ आई थी एवं इस बाढ़ से किसानों के लाखों की फसल बर्बाद हो गई;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) महनार, जन्दाहा तथा महुआ प्रखण्डों में पिछले वर्ष बाढ़ नहीं आई थी, अत: प्रश्न स्वीकारात्मक नहीं है ।

(2) कंडिका (1) के अनुसार ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अस्पताल भवन बनाना

द-21. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखण्ड के तेलवा गाँव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर होने के कारण चिकित्सक एवं मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का नया भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेलवा, महिषी के भवन में मरम्मती की आवश्यकता है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेलवा के वार्षिक मरम्मती हेतु रु० 50,000.00 (पच्चास हजार) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिषी, (सहरसा) को भवन के मरम्मती हेतु दिया गया है ।

(2) इसके विशेष मरम्मती की कार्रवाई भी की जा रही है ।

जान-माल की क्षति दर्ज कराना

पुन-8. श्री रामलषण राम ''रमण''--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आँधी-तूफान में पेड़ों के गिरने से हुई जान-माल की क्षति को आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इससे प्रभावित लोग आपदा के सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आँधी-तूफान से हुई जान-माल की क्षति को आपदा में दर्ज करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चक्रवात (Cyclone) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित है । अतएव चक्रवातीय आँधी-तूफान से क्षति होने पर निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता अनुमान्य है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

दोषी पर कार्रवाई

ग्राम्य-72. श्री ललन कुमर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखण्ड में बी०आर०जी०एफ० (बारहवीं वित्त योजना) अन्तर्गत सौर ऊर्जा की आपूर्ति पंचायत समिति के द्वारा होनी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उसकी निविदा हुई, अधूरा कार्य सम्पन्न होने के बाद बिना भुगतान किये दूसरे अभिकर्ता को ऊँचे दाम पर बिना निविदा रद्द किये बिना ही राशि दे दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । बी०आर०जी०एफ० एवं बारहवीं वित्त योजना दो अलग-अलग योजना है एवं दोनों योजनाओं के अन्तर्गत सौर ऊर्जा लगाये जाने का प्रावधान है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2008-09 में सोलर लाइट की आपूर्ति हेतु निविदा में प्रथम स्वीकृत आपूर्तिकर्ता (निविदादाता) को मानक सामग्री आपूर्ति के आलोक में आपूर्ति का आदेश दिया गया । उनके द्वारा मानक सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं दूसरे अभिकर्ता को स्वीकृत दर से अधिक दर पर आपूर्ति आदेश क्रय समिति के निर्णय के आलोक में दिया गया ।

(3) दोषी पदाधिकारियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के विरुद्ध नियमसंगत एवं विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है ।

मुआवजा देना

पुन-01. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखण्ड के बड़की चिलनी टोला, धोबी बिगहा में राजेन्द्र यादव, राम विलास यादव, गनौरी यादव, सरजून यादव, रामस्वरूप यादव एवं विशुनदेव यादव के खलिहान में 12 मार्च, 2011 को आग लग गई थी, परन्तु आजतक मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । अग्नि कांड से प्रभावित निम्न व्यक्तियों को साहाय्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है:--

1. श्री गनौरी यादव	..	5,150.00
2. श्री राजेन्द्र यादव	..	3600.00
3. श्री रामस्वरूप यादव	..	2,000.00
4. श्री राम प्रसाद यादव	..	2,400.00
5. श्री विशुन यादव	..	1,000.00
6. श्री राम विलास यादव	..	2,400.00
7. श्री सरजून प्रसाद	..	2,000.00

अवैध खनन् पर रोक लगाना

ख-2. श्री अमन कुमार--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखण्ड के रमजानीपुर पंचायत में कासड़ी पहाड़ एवं भदेश्वर पहाड़ से अवैध रूप से पत्थर काटकर मेटल एवं मोरम ढोया जा रहा है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थलों पर हो रहे अवैध खनन् पर रोक लगाने एवं इसके लिए जिम्मेवार कर्मी को दण्डित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भदेश्वर पहाड़ में श्री रंजीत यादव को मोरम का खनन पट्टा प्राप्त है, जिसकी अवधि दिनांक 29 जून, 2014 तक है । धारित खनन पट्टा में पट्टेधारी द्वारा ही खनन कार्य किया जा रहा है ।

रमजानीपुर पंचायत के कासड़ी पहाड़ में चार पट्टा पूर्व में धारित थे लेकिन वर्तमान में मात्र एक पट्टा श्री मनमोहन कुमार सिंह के नाम से मौजा अंतीचक में है, शेष पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

कासड़ी पहाड़ का दिनांक 1 मार्च, 2012 में कराये गये स्थल निरीक्षण के समय पत्थर तोड़ मेटल या मोरम ढोये जाने का कार्य नहीं पाया गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । बी०एम०एम०सी० रूल्स, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अवैध रूप से पत्थर तोड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

कार्रवाई करना

द-92. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर सदर अस्पताल में दिनांक 6 फरवरी, 2010 एवं 8 फरवरी, 2010 को भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाई पायी गयी थी, यदि हां, तो इसके लिये कौन पदाधिकारी दोषी हैं एवं दोषी पदाधिकारी पर अभीतक क्या कार्रवाई की गयी है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 3 फरवरी, 2012 को सदर अस्पताल, समस्तीपुर के कालाजार वार्ड के छत पर एक्सपाईरी दवाएँ मिली थी ।

सिविल सर्जन द्वारा उक्त सभी दवाओं की जाँच जिला भंडार पंजी, सदर अस्पताल, भंडार पंजी, वार्ड वितरण पंजी से मिलान किया गया । मिलान के क्रम में पाया गया कि उक्त दवाओं में से अधिकांश दवा वित्तीय वर्ष 2006-07 में क्रय की गयी थी एवं कुछ दवाएँ वित्तीय वर्ष 2008-09 में क्रय की गयी थी । जिसका वितरण ससमय जिला भंडार से एवं सदर अस्पताल भंडार से मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु वार्ड में उपलब्ध कराया गया था । वार्ड में दवा प्राप्तकर्ता के द्वारा ससमय मरीजों को उपलब्ध नहीं कराने एवं उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण दवा एक्सपाईरी हुई थी ।

जाँच के क्रम में पाये गये दो दोषी कर्मी जिसमें से एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पर कार्रवाई की जा रही है एवं एक अन्य दोषी कर्मी को निलंबित किया जा चुका है ।

पथ चौड़ीकरण कराना

ग्राम्य-173. श्री अख्तरूल इसलाम शाहीन--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड समस्तीपुर एवं ताजपुर के सीमान के निकट गंज पुल (जमुआरी नदी पर) के निकट आधारपुर से भाया बाधी (मुखिया मुखी लाल सिंह का घर होते हुये) अकलू चौक होते हुये एन०एच० 28 की ओर जाने वाली लगभग 5 कि०मी० लम्बी ग्रामीण सड़क जर्जर है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ चौड़ीकरण एवं ऊँचीकरण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ की लम्बाई लगभग 2.43 कि०मी० है जो ईंटीकृत एवं खराब है । इसके निर्माण पर 1.5 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) रुपये व्यय अनुमानित है । इस पथ को नये कोर नेट वर्क में शामिल कर लिया गया है । NRRDA (National Rural Road Development Agency), नई दिल्ली से स्वीकृति के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

दाखिल-खारिज कराना

रा-55. श्री बैद्यनाथ सहनी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखण्ड के कृषकों को दाखिल-खारिज कराने हेतु पंद्रह हजार दस्तावेज विगत छः वर्षों से लम्बित है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के कृषकों को दस्तावेज का दाखिल-खारिज कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विगत छः वर्षों में मोरवा अंचल में दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :--

वर्ष	प्राप्त आवेदन	निष्पादित
2006-07	3792	3792
2007-08	3449	3449
2008-09	2642	2642
2009-10	2533	2533
2010-11	1639	1639
2011-12	1322	1322
कुल--	15377	15377

(2) कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

उप-केन्द्र स्थापित करना

द-82. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखण्ड अन्तर्गत अगहरा पंचायत के ग्राम-जवईनिया, कदम टोला में स्वस्थ्य उप-केन्द्र नहीं रहने से इसके आस-पास के 5-6 कि०मी० की जनता को स्वास्थ्य सुविधा सही ढंग से उपलब्ध नहीं होती है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मढ़ौरा प्रखण्ड अगहरा पंचायत के जवईनिया, कदम टोला में एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । सारण जिला के मढ़ौरा प्रखण्ड अन्तर्गत अगहरा पंचायत के ग्राम-जवईनिया, कदम टोला में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । जवईनिया ग्राम से 4 किलो मीटर की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरा संचालित है जहाँ से जवईनिया ग्राम को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है ।

(2) उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट है ।

स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं रहने का औचित्य

द-234. श्री कृष्णनन्दन पासवान--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के कृतपुर मठिया पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के कृतपुर मठिया पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र संचालित है । पूर्व में यह किराये के भवन में संचालित था । वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा भवन निर्माण कर स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत करा दी गयी है जिसमें संचालित है ।

आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराना

रा-61. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदन प्रखण्ड के जीवछ घाट एवं गौसा घाट पर प्रतिवर्ष माघी एवं कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है जिससे सरकार को राजस्व के रूप में दो लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ सरकार की तरफ से पेयजल, ठहरने हेतु आवास, शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जीवछ घाट एवं गौसा घाट पर श्रद्धालुओं के लिये आवश्यक आधरभूत सुविधाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011-12 में दोनों मेला से कुल 1,22,751 (एक लाख बाईस हजार सात सौ एकावन) रुपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें जीवछ घाट मेला का डाक मात्र 1,251.00 (एक हजार दो सौ एकावन) रुपये में हुआ है । दोनों लगने वाले मेलों के पास उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय स्थित है जहाँ लोग ठहरते हैं । दोनों विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था है ।

बाजार का निविदा नहीं कराने का औचित्य

रा-21. श्री मोती लाल प्रसाद--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बैरगनियाँ प्रखण्ड स्थित बाजार का निविदा पिछले 50 वर्षों से होता रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस बाजार का निविदा नहीं कराया गया है जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस वर्ष बैरगनियाँ बाजार का निविदा नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये निविदा आमंत्रित किया गया था जिसका प्रकाशन दिनांक 28 जनवरी, 2011 को दैनिक हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में किया गया था जिसकी सुरक्षित जमा राशि 6,05,400.00 रुपये थी । वर्ष 2011-12 में डाक की उच्चतम बोली राशि 6,63,100.00 रुपये के लिये श्री शोभाकान्त झा द्वारा लगाया गया था । किन्तु वित्तीय वर्ष 2010-11 में उक्त बाजार की बन्दोबस्ती 10,95,000.00 रुपये में की गयी थी । इस कारण 2011-12 में डाक की उच्चतम राशि 6,63,100.00 रुपये जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में की गई बन्दोबस्ती की राशि से कम होने के कारण आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को कार्यालय पत्रांक 164 मु०, दिनांक 4 जुलाई, 2011 से अनुमोदन हेतु भेजा गया है । स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण विभागीय वसूली कराई गयी है । इस विभागीय वसूली में जनवरी, 2012 तक अंचलाधिकारी, बैरगनियाँ के प्रतिवेदन अनुसार 3,95,876 रुपये की वसूली की गई है । सुरक्षित जमा राशि के आलोक में अंचलाधिकारी, बैरगनियाँ को वसूली करने का सख्त निर्देश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा दिया गया है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये उक्त बाजार की बन्दोबस्ती हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

पोखर का जीर्णोद्धार

रा-24. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शाहपुर विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-चकवथ में लगभग 40 एकड़ में सरकारी पोखरा अवस्थित है और सरकारी प्रावधान के तहत प्रत्येक वर्ष मछली मारने हेतु इसकी निलामी भी होती है, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ इस अनुपम पोखर पर छठ वर्त होता है तथा स्थानीय लोगों का निरंतर भ्रमण भी होता रहता है परन्तु पोखर के जीर्ण-शीर्ण रहने के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पोखर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक । प्रश्नगत पोखरा में छठ वर्त के अवसर पर अर्घ्य दिया जाता है ।

(3) अंतर्विभागीय समन्वय के द्वारा जीर्णोद्धार की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी ।

पथ का निर्माण

ग्राम्य-310. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखण्ड के तेलहारा माई स्थान से गोरगाँवा एवं मेसौढ़ा-चैनपुर पथ से हसनपुर, बलुआ से बैरगनियाँ होते हुये मेसौढ़ा-मुसहरिया पथ विगत पाँच वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसमें वाहनों के आवागमन एवं आमजनों को यातायात में भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । पथ खराब है परन्तु आवागमन चालू है ।

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ की लम्बाई 8.0 कि० है, जो ईटीकृत है । इस पथ के निर्माण में 6 करोड़ (छः करोड़) रुपये व्यय अनुमानित है । अभी इस पथ की योजना स्वीकृत नहीं है ।

जेनरेटर से विद्युत् आपूर्ति करना

द-196. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबनी, रहवा का जेनरेटर विगत 6 माह से नहीं चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के जेनरेटर हेतु प्रतिमाह 400 लीटर से अधिक डीजल की आपूर्ति की जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) के वर्णित तथ्यों को जाँच कर उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में जेनरेटर से विद्युत् की आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । जेनरेटर जनवरी, 2012 से चल रहा है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पथ का कालीकरण

ग्राम्य-399. श्री रामसेवक सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखण्ड के बथुआ बाजार से सेमरा बाजार तक का पथ जर्ज अवस्था में है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ की लम्बाई लगभग 6.5 कि०मी० है जो खराब है । इस पथ के मरम्मती कराने में लगभग 120 लाख (एक करोड़ बीस लाख) रुपये व्यय अनुमानित है ।

इस पथ के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

पुल बनाना

पथ-175. श्री रामबालक सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड के पटवारा घाट गंडक नदी पर पुल नहीं रहने के कारण प्रखण्ड के लाखों लोगों को खेती एवं यातायात में असुविधा होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घाट पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभूतिपुर प्रखण्ड में गंडक नदी के उत्तर में पटवारा गाँव है । पटवारा घाट गंडक नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है, इसके निर्माण में 6 करोड़ (छः करोड़) रुपये व्यय अनुमानित है ।

अभी इस पुल की योजना स्वीकृत नहीं है ।

एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराना

द-89. श्री सबा जफर--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के अमौर एवं बैसा प्रखण्ड में बने स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर सकारात्मक है, तो सरकार कबतक एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) रेफरल अस्पताल, अमौर में मेसर्स आई०जी०ई० मेडिकल सिस्टम, सिलवासा द्वारा एक वर्ष पूर्व से एक्स-रे मशीन रख दिया गया है जो चालू नहीं किया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैसा में भी एक्स-रे मशीन नहीं है ।

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मेसर्स आई०जी०ई० मेडिकल सिस्टम, सिलवासा को निदेशित किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों अस्पतालों में अगले तीन माह के अन्दर एक्स-रे की सेवा प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें ।

भुगतान कराना

द-136. **श्री सतीश कुमार**--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राघोपुर प्रखण्डान्तर्गत तेरसिया, दिवानटोक, जहाँगीरपुर, सुकमारपुर, हेमतपुर, मीरमपुर, रामपुर, श्यामचन्द, सैदाबाद, इब्राहिमाबाद,चाँदपुरा, पहाड़पुर पश्चिमी, चकसिंगार, शिवनगर एवं रामपुर करारी स्थित उप-स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्र के किराये का भुगतान आजतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित उप-स्वास्थ्य केन्द्र के किराये की राशि आवंटित करते हुये उसका भुगतान सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) वर्णित स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के लम्बित किराये के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है । भुगतान की कार्रवाई की जा रही है ।

डाक बंगला का जीर्णोद्धार

पंच-3. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अनुमण्डल मुख्यालय के अशोक बाजार परिसर स्थित सरकारी डाक बंगला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित उक्त डाक बंगला की स्थिति ठीक नहीं रहने से प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जन-प्रतिनिधियों को विश्राम करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त डाक बंगला का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत डाक बंगला सही हालत में नहीं रहने के कारण अनुपयोगी पड़ा हुआ है ।

(3) जिला परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है । प्रश्नगत डाक बंगला की मरम्मती जिला परिषद्, मधुबनी को अपने संसाधन से करना है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-70. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के रोड नम्बर 85 से मतिहारपुर जानेवाली सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के रोड नम्बर 85 से मतिहारपुर जाने वाली सड़क की लम्बाई 2.45 कि०मी० है जो कच्ची ग्रामीण सड़क है । यह सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुनरीक्षित कोर नेटवर्क के CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) में सम्मिलित है । एन०आर०आर०डी०ए०, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इस सड़क का निर्माण कराया जा सकेगा ।

पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-52. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत निर्माण योजना अन्तर्गत प्रत्येक एक हजार आबादी वाले गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा प्रखण्ड के पगडेरा गाँव (संस्कृत विद्यालय) से चिकनी, पकड़ी गाँव होते हुये बरकुरवा ग्राम (उत्क्रमित मध्य विद्यालय) तक कच्ची सड़क है जो अत्यंत जर्जर अवस्था में है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित कच्ची सड़क को खण्ड (1) के प्रावधानानुसार पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा प्रखण्ड के पगडेरा गाँव (संस्कृत विद्यालय) से चिकनी, पकड़ी गाँव होते हुए बरकुरवा ग्राम (उत्क्रमित मध्य विद्यालय) तक की कच्ची सड़क की लम्बाई 4.52 कि०मी० है । वर्तमान में इस सड़क की स्थिति ठीक नहीं है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम०एन०पी०) योजना के तहत प्रश्नाधीन सड़क के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 3130, दिनांक 27 जुलाई, 2012 द्वारा कुल 436.68 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख अड़सठ हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । निविदा की कार्रवाई के पश्चात् प्रश्नाधीन सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

सड़क को पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-37. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के पंचगछिया रेलवे स्टेशन से बिजलपुर जाने वाली सड़क पक्की नहीं रहने के कारण आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिला अन्तर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के पंचगछिया रेलवे स्टेशन से बिजलपुर जाने वाली सड़क की लम्बाई 2 कि०मी० है । यह ईंट सोलिंग सड़क है जिसके पक्कीकरण की अनुमानित लागत 120 लाख (एक करोड़ बीस लाख) रुपये है । मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस सड़क के संदर्भ में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त हाने के पश्चात् सड़क निर्माण के संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

सड़क को पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-38. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत महिषी प्रखण्ड के पश्चिमी कोशी तटबंध सुपौल, डुमरी से पीपरपाती जलय पूर्वी पुनर्वास सड़क कच्ची रहने के कारण बरसात में आमलोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिला अन्तर्गत महिषी प्रखण्ड के पश्चिमी कोशी तटबंध सुपौल, डुमरी से पीपरपाती जलय पूर्वी पुनर्वास सड़क की लम्बाई 3.66 कि०मी० है । यह कच्ची ग्रामीण सड़क है जिसके पक्कीकरण की अनुमानित लागत 220 लाख (दो करोड़ बीस लाख) रुपये है । मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस सड़क के संदर्भ में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सड़क निर्माण के संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त करना

टन-3. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मोईनुलहक स्टेडियम परिसर में चन्द्रगुप्त जल विहार की स्थापना 2000 ई० में हुई थी, जिसे सुचारू संचालन के लिये चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जल विहार मे तैराकी के प्रशिक्षण हेतु नियमित प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति पिछले एक साल से नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जल विहार में नियमित प्रशिक्षक प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) दिनांक 10 जुलाई, 2002 को मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर परिसर के दक्षिण-पश्चिम कोने पर 170 फीट×180 फीट मात्र भू-खण्ड का प्रभार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को दिया गया। निर्माणाधीन तरणताल का उद्‌घाटन दिनांक 27 सितम्बर, 2003 को किया गया, जिसे संचालन हेतु निम्नवत प्रबन्धक समिति का गठन किया गया है:--

1. प्रबन्ध निदेशक, बि०स्टे०टू०डेव०कॉर०--अध्यक्ष
2. निदेशक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्रा०--सदस्य
3. प्रबंधक, मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर--सदस्य
4. उप-महाप्रबंधक (वि० एवं ले०), B.S.T.D.C.--सदस्य
5. प्रबंधक, ट्रे०ट्रेड, B.S.T.D.C.--सदस्य सचिव।

(2) जल विहार में तैराकी प्रशिक्षण कार्य नहीं किया जाता है जल विहार में आने वाले सदस्यों के सुरक्षा हेतु Life Guard राष्ट्रीय स्तर के तैराक व्यक्ति को चयन कर रखा जाता है, जो आज भी तैराकी अवधि में सदस्यों के जीवन सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

विद्युतीकरण कराना

य-38. श्री अमरनाथ गामी--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखण्ड के अतहर उत्तरी पंचायत में आजादी के 66 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जबकि 75 ग्रामीणों ने 4 वर्ष पूर्व ही निर्धारित राशि संबंधित कार्यालय में जमा भी कर दिया है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) दरभंगा जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। योजना के सीमित आकार के कारण पूर्व में जिले के सभी गाँवों/टोलों को इसमें शामिल नहीं किया जा सका है।

शेष गाँवों/टोलों के विद्युतीकरण हेतु भौतिक सर्वेक्षण कर डी०पी०आर० बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा डी०पी०आर० की स्वीकृति के उपरान्त विद्युतीकरण की कार्रवाई की जायेगी।

सड़क की मरम्मती

पश्न-27. श्री बैद्यनाथ सहनी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर एन०एच० 28 गाँधी चौक से दक्षिण जाने

वाली सड़क भाया ग्राम दादनपुर से ग्राम मोहम्मदपुर एन०एच० 103 तक एवं निकसपुर महाविद्यालय से भाया चकपहाड़ होते हुये ग्राम घिरूआ से गाँधी चौक पी०डब्लू०डी० सड़क तक अत्यन्त जर्जर है, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वर्णित जर्जर सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है ।

1. ताजपुर एन०एच० 28 गाँधी चौक से दक्षिण जाने वाली सड़क भाया ग्राम-दादनपुर से ग्राम-मोहम्मदपुर एन०एच० 103 तक पथ की लम्बाई लगभग 13.0 कि०मी० है, जो कालीकृत एवं खराब है । इसके पुनर्निर्माण पर लगभग 600 लाख (छः करोड़) रुपये व्यय अनुमानित है ।

2. निकसपुर महाविद्यालय से भाया चकपहाड़ होते हुये ग्राम-घिरूआ से गाँधी चौक पी०डब्लू०डी० सड़क तक पथ की कुल लम्बाई 6.7 कि०मी० है, जो 4.0 कि०मी० कालीकृत तथा 2.0 कि०मी० ईंटीकृत एवं खराब है । इसके पुनर्निर्माण पर लगभग 300 लाख (तीन लाख) रुपये व्यय अनुमानित है ।

इन दोनों पथों के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य-69. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के घैलाढ़ प्रखण्ड मुख्यालय से दयालपुर महादलित टोला, चिकनोटवा महादलित टोला होते हुये भगवानी तक जाने वाले सड़क कच्ची रहने के कारण बीमार महिलाओं, वृद्धों एवं बच्चों को अस्पताल जाने, छात्र-छात्राओं को स्कूल एवं कॉलेज जाने तथा आमजनों को प्रखण्ड मुख्यालय, बैंक, थाना एवं जिला मुख्यालय आदि जाने में काफी दिक्कतें होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन मधेपुरा जिला के घैलाढ़ प्रखण्ड मुख्यालय से दयालपुर महादलित टोला, चिकनोटवा महादलित टोला होते हुये भगवानी तक जाने वाले सड़क की लम्बाई 3.75 कि०मी० है । इस सड़क का प्रारम्भिक 1.4 कि० मि० पथांश ईंट सोलिंग एवं शेष 5.35 कि०मी० पथांश कच्ची सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 450 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रुपये है । यह सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुनरीक्षित कोर-नेटवर्क के CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) में सम्मिलित है । एन०आर०आर०डी०ए०, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इस सड़क का पक्कीकरण कराया जा सकेगा ।

मरम्मती कार्य कराना

त्र-27. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया लाइन, कटैया लाइन, शिवपुर लाइन वितरणी नहर का

मरम्मती कार्य अभीतक नहीं कराया गया है, जिससे सिंचाई कार्य बाधित है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों का मरम्मती कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--प्रश्नाधीन नहरें सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत आरा मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणाली से निसृत नहरे हैं । वर्तमान में संदर्भित बिहिया शाखा नहर एवं कटैया वितरणी से सिंचाई कार्य किया जा रहा है । इन नहरों के मरम्मती कार्य के प्रावधान के साथ सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न नहर प्रणाली की मरम्मती एवं पुनर्स्थापन हेतु दिनांक 25 मई, 2012 को रु० 170.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । स्वीकृत योजना में वर्णित नहरों के लिये लगभग 714.00 रु० लाख का प्रावधान किया गया है । शीघ्र ही कार्यों की निविदा कर मई, 2014 तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है ।

कार्य प्रमण्डल सीतामढ़ी से टैग करना

च-2. श्री दिनकर राम--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज प्रखण्ड, सोनवर्षा प्रखण्ड एवं बथनाहा को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, पुपरी से टैग कर दिया गया है, जबकि मेजरगंज, सोनवर्षा और बथनाहा प्रखण्ड का अनुमण्डल मुख्यालय सीतामढ़ी है, यदि हां, तो क्या सरकार मेजरगंज, सोनवर्षा एवं बथनाहा प्रखण्ड को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, पुपरी के बदले स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण कार्य प्रमण्डल, सीतामढ़ी से टैग करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत 6 विधान-सभा क्षेत्र वाले जिलों में एक कार्य प्रमण्डल तथा उससे अधिक विधान-सभा क्षेत्र वाले जिलों में दो कार्य प्रमण्डलों का सृजन किया गया है । सीतामढ़ी जिला में दो कार्य प्रमण्डल सृजित हैं । कार्य प्रमण्डल-1 का जिला मुख्यालय (सीतामढ़ी) रखा गया है तथा कार्य प्रमण्डल-2 का मुख्यालय अनुमण्डल मुख्यालय, पुपरी में रखा गया है । विदित हो कि सीतामढ़ी जिला में दो अनुमण्डल हैं--(1) सीतामढ़ी (2) पुपरी ।

वर्तमान में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2, पुपरी को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-1, सीतामढ़ी के साथ टैग करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-41. श्रीमती देवंती यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत भरगामा पेट्रोल पम्प से परसा हाट जाने वाली मुख्य मंत्री सम्पर्क सड़क का निर्माण जय माता दी कन्स्ट्रक्शन द्वारा 2 वर्ष पूर्व हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्ष के अन्दर सड़क की स्थिति अतिजर्जर हो गयी और पी०सी०सी० गड्ढे में तब्दील हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत भरगामा पेट्रोल पम्प से परसा हाट जानेवाली सड़क जिसकी लम्बाई 6.21 कि०मी० है, का निर्माण मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 273.597 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार सात सौ) रुपये की लागत से मेसर्स जय माता दी कन्सट्रक्शन, अररिया द्वारा कराया गया है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 8 नवम्बर, 2009 एवं कार्य समाप्त करने की तिथि 30 जून, 2011 है । इस सड़क के दूसरे कि०मी० में भरना गाँव के पास एक जगह पी०सी०सी० क्षतिग्रस्त है । कहीं-कहीं सड़क में निर्मित संरचना के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में सड़क आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त है । इस सड़क का निर्माण पाँचवर्षीय संपोषण के प्रावधान के साथ कराया गया है । कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती हेतु उनके पत्रांक 411, दिनांक 20 अप्रील, 2012 द्वारा निदेशित किया गया है । शीघ्र सड़क की मरम्मती करा ली जायेगी ।

कंट्रोल पैनल लगाना

च-14. **श्री दुलालचन्द गोस्वामी**--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई में विद्युत् सब-पावर स्टेशन विगत दो वर्षों से कार्यरत हैं, जिसमें कंट्रोल पैनल नहीं रहने के कारण उक्त अनुमण्डल में बिजली आपूर्ति सुचारू तरीके से नहीं हो पाता है, यदि हां, तो क्या सरकार कंट्रोल पैनल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई शक्ति उप-केन्द्र में कंट्रोल पैनल राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाया जा रहा है । सितम्बर, 2012 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

सड़क बनाना

पथ-6. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत रसियारी नवनिर्मित पुल से पी०डब्लू०डी० सड़क से नीमा गाँव से कोशी के पश्चिम तटबंध तक सड़क नहीं रहने से हजारों आदमी का आवागमन अवरुद्ध है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पथ की कुल लम्बाई 4.0 कि०मी० है जो कच्ची है । इस पथ में रसियारी गाँव के बाद गेहुँआ नदी पर 50 मीटर लम्बे पुल की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त पाँच जगहों पर भी छोटे-बड़े पुलियों की आवश्यकता होगी । पुल सहित पथ के निर्माण पर लगभग 500 लाख रुपये (पाँच करोड़) व्यय अनुमानित है ।

इस वित्तीय वर्ष में निर्माण की जानेवाली पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है ।

अभी इस पथ एवं पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचारधीन नहीं है ।

सड़क का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-75. श्री जनार्दन माँझी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान-सभा के कुल्हरिया से बासुदेवपुर प्रधान मंत्री पथ 8 वर्ष पूर्व बनी है जो गड्ढे में तब्दील हो गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन बांका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान-सभा के कुल्हरिया से बासुदेवपुर तक का पथ जिसकी लम्बाई 2.1 कि०मी० है, का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1 वर्ष 2000-01 में पैकेज संख्या बी०आर० 03-01 के तहत कराया गया था । वर्तमान में इस सड़क की स्थिति ठीक नहीं है । इस सड़क के जीर्णोद्धार की अनुमानित लागत 75 लाख (पचहत्तर लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में मरम्मती योजना के तहत जिन पथों की मरम्मती/विशेष मरम्मती की जानी है, इसका आवंटन आदेश निर्गत किया जा चुका है । आगे प्रश्नाधीन सड़क के जीर्णोद्धार पर विचार किया जा सकेगा ।

पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-19. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के भ्रमरपुर गाँव में अनुसूचित जाति टोलावासी एवं अतिपिछड़ा के लोगों को पंचायत भवन दुर्गा स्थान, पुरोहित टोला होते पहुँच पथ पर पहुँचने के लिये एक भाग जर्जर सड़क रहने के कारण आये दिन दुर्घटना होते रहती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर पथ का पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । दुर्घटना की कोई सूचना विभाग को नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के भ्रमरपुर गाँव से पंचायत भवन दुर्गा स्थान, पुरोहित टोला होते पहुँच पथ तक जानेवाली सड़क की लम्बाई 3.2 कि०मी० है । यह कच्ची ग्रामीण सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 192 लाख (एक करोड़ बानवे लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है ।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य-15. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के नवटोलिया अनुसूचित जाति टोलावासियों को रिटायर बाँध एवं मध्य विद्यालय होते हुये प्रधान मंत्री सड़क तक पहुँचने के लिये एकमात्र कच्ची सड़क है;

(2) क्या यह बात सही है कि पक्की सड़क नहीं रहने के कारण प्रत्येक दिन महादलित एवं अनुसूचित जाति टोला के लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) दुर्घटना की कोई सूचना विभाग को नहीं है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के नवटोलिया से रिटायर बाँध एवं मध्य विद्यालय होते हुये प्रधान मंत्री सड़क तक जानेवाली सड़क की लम्बाई 3 कि०मी० है । यह कच्ची ग्रामीण सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 180 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । आगे इसके निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

पथ का निर्माण

ग्राम्य-07. **डॉ0 कृष्णनन्दन यादव**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अतरी प्रखण्ड अन्तर्गत टिबरी नुना टाँड से टिबरी फिल्ड चन्द्रशेखर नगर एवं चकरा फिल्ड जाने के लिये सड़क नहीं है, जिससे तीनों ग्राम के महादलित लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ को बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ 4.5 कि०मी० ग्रामीण कच्चा पथ है जिसके निर्माण पर अनुमानित लागत 225 लाख रुपये आयेगी । उक्त पथ किसी भी योजना में चयनित नहीं है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण की जाने वाली पुलों/पथों का चयन किया जा चुका है ।

सड़क बनाना

ग्राम्य-06. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टौसा-सरवहदा मुख्य पथ ग्राम-खुदई से खुदई उच्च विद्यालय होते हुये बालचक बिगहा ग्राम तक की सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ 4 कि०मी० ग्रामीण कच्चा पथ है, जिसके निर्माण पर अनुमानित लागत 2.0 करोड़ (दो करोड़) रुपये आयेगी ।

कार्यपालक अभियंता, नीमचक बथानी से प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात सरकार समुचित निर्णय लेगी ।

पथ का निर्माण

ग्राम्य-14. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखण्ड अन्तर्गत खजुरिया कुंड से हलुआड-मनीया पर होते हुये हिरूआ तक जाने वाली पथ प्रधान मंत्री सड़क योजना वर्ष 2008-09 में स्वीकृत है, जिसकी एजेन्सी इरकॉन है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से इरकॉन के द्वारा अधूरा कराकर निर्माण बन्द कर दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । आवागमन चालू है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि रोड मेटल तथा बिटूमीन के अभाव के कारण निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई थी । बिटूमीन एवं रोड मेटल उपलब्ध कर लिया गया है किन्तु मानसून के बारिश के कारण कार्य धीमी गति से चल रहा है । उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

सड़क बनाना

ग्राम्य-72. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत महादलित टोला, बलुआ टोला से मटियारी जाने के लिये सड़क नहीं है, यदि हां, तो सरकार कबतक उक्त सड़क बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत महादलित टोला बलुआ टोला से मटियारी जाने वाली सड़क की लम्बाई 1.5 कि०मी० है जो कच्ची सड़क ग्रामीण सड़क है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 90 लाख (नब्बे लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है ।

सड़क का जीर्णोद्धार कराना

ग्राम्य-33. श्रीमती मनोरमा प्रसाद--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के नौतन प्रखण्ड अन्तर्गत सोफवा टोला ईसाफ चौक से धूमनगर

होते हुये ध्रुव पासवान के घर तक प्रधान मंत्री पथ काफी जर्जर है जिससे आवागमन एवं सवारियों को जाने-आने में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पथ की कुल लम्बाई 6.0 कि०मी० है जिसमें 5.0 कि०मी० कालीकृत तथा 1.0 कि०मी० ईंटीकृत एवं खराब है । इसकी मरम्मती हेतु विभाग द्वारा 106 लाख (एक करोड़ छ: लाख) रुपया आवंटित किया जा चुका है एवं निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य आरम्भ कराया जायेगा ।

बाँध का निर्माण

त्र-4. श्रीमती मनोरमा प्रसाद--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत नौतन प्रखण्ड के शिवराजपुर पंचायत के जरलहिया ढाला से छरकी-विशम्भरपुर होते हुये मंगलपुर-गोपालगंज रोड तक ऊँचे सड़क का निर्माण किया गया है जिससे सड़क के पश्चिम तरफ जल-जमाव रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि जल-जमाव के कारण उक्त क्षेत्र में किसानों को हजारों एकड़ की फसल का नुकसान हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल-जमाव को रोकने के लिये बाँध का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) मंगलपुर में गंडक नदी पर पुल निर्माण के कारण ऊँची सड़क निर्माण से नदी के जल स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप जल-जमाव हो जाता है ।

(2) जल-जमाव से फसल डूब जाता है, परन्तु नदी में जल स्तर के घटने से जल्दी ही जल-जमाव से मुक्त हो जाता है ।

(3) रिंग बाँध के निर्माण से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य किया गया । सर्वेक्षण के पश्चात योजना तैयार किया गया । बाँध के निर्माण की संभाव्यता पर विचार किया गया और पाया गया कि बाँध के अन्दर पुन: बाँध का निर्माण कराना उचित नहीं है ।

बाँध के कार्य कराना

त्र-32. श्री मनीष कुमार--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखण्ड के हिरम्बी बाँध का शिलान्यास किया गया था, जिसमें कार्य भी शुरू हुआ था, परन्तु बाँध का निर्माण का कार्य अभीतक अधूरा पड़ा है, जबकि 2010 तक इस कार्य को पूरा कर लेना था, यदि हां, तो क्या सरकार हिरम्बी बाँध के कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखण्ड के हिरम्बी बाँध के पुनर्स्थापन हेतु वर्ष 2006 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गई एवं योजना का शिलान्यास भी किया गया । वर्णित कार्य

के लिये दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को एकरारनामा कर कार्यारम्भ किया गया । योजना अन्तर्गत 23.46 एकड़ भूमि के भू-अर्जन का मामला शामिल रहने के कारण योजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका । संवेदक द्वारा मार्च, 2011 में माननीय विवाचन न्यायालय में दर वृद्धि हेतु मामला दर्ज कर दिया गया, फलस्वरूप कार्य बाधित रहा ।

दिनांक 26 जून, 2012 को माननीय विवाचन न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुरक्षित रखते हुये कराये गये कार्यों का अंतिम मापी लेने के पश्चात् अवशेष बचे कार्यों को पूरा कराने का निर्देश दिया गया है । मानसून के कारण कराये गये कार्यों की अंतिम मापी नहीं ली जा सकी है । मानसून के पश्चात् अंतिम मापी लेकर अवशेष कार्यों को नये सिरे से निविदा आमंत्रित कर पूर्ण कराने का कार्यक्रम है ।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य-46. श्री पद्म पराग राय वेणु--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखण्ड अन्तर्गत पुरानी जोगबनी में चौघटिया से तेलियारी तक 5 कि०मी० सड़क नेपाल बोर्डर तक जाती है, का पक्कीकरण नहीं होने से आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखण्ड अन्तर्गत पुरानी जोगबनी में चौघटिया से तेलियारी (नेपाल बोर्डर) तक जानेवाली सड़क की लम्बाई 5.5 कि०मी० है । इस सड़क का प्रारम्भिक 2 कि०मी० पथांश ईंट सोलिंग एवं शेष 3.5 कि०मी० पथांश कच्ची सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 330 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । आगे इसके निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

कार्य पूर्ण कराना

टन-2. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी प्रखण्ड के पूर्वी ठाठा गाँव के कसरैया धार के पास वर्ष 2003 में एक पर्यटन होटल का शिलान्यास तत्कालीन पर्यटन मंत्री द्वारा किया गया था एवं तीन वर्ष में निर्माण कार्य पूरा कर होटल को चालू करने का आदेश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त होटल का निर्माण कार्य विगत 9 वर्षों में पूरा नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उक्त होटल का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) एवं (3) मार्गीय सुविधा, महेशखुंट के निर्माण कार्य का एकरारनामा 2008 में हुआ । तत्पश्चात् बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्य आरम्भ किया गया, अद्यतन उक्त होटल का Structure Work एवं Cement Plaster पूर्ण हो चुका है । कार्य स्थल काफी गड्ढे में होने के कारण लागत में बढ़ोतरी हो गयी है । अतिरिक्त राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

पाइप बदलना

त्र-19. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत, बगहा-2 प्रखण्ड के नदीघाटी परियोनान्तर्गत बाल्मीकिनगर के पहाड़ी क्षेत्र को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु फिल्टर फ्लोर संयंत्र लगाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त फिल्टर फ्लोर एवं पाइप 10 वर्षों से जर्जर स्थिति में होने कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को निरंतर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नदीघाटी परियोजना द्वारा संचालित पेयजल फिल्टर फ्लोर की आधुनिक नया फ्लोर लगाने एवं पाइप को बदलने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग के शीर्ष कार्य प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर द्वारा जलापूर्ति हेतु लगाये गये प्लान्ट की मरम्मती एवं सम्पोषण की जाती है तथा उक्त क्षेत्र के लोगों को उक्त प्लान्ट से निरन्तर शुद्ध पेयजल की अपूर्ति की जा रही है ।

(3) कंडिका (2) के आलोक में इसमें सुधार लाने की आवश्यकता नहीं है ।

तेल्हाड़ा और औंगारी तक पानी पहुँचाना

त्र-30. श्री राजीव रंजन--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के उदेरास्थान से निकलने वाली नहरें तेल्हाड़ा और औंगारी जाती हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उदेरास्थान के नहर से पानी छोड़ने के बावजूद ग्रामीणों द्वारा अस्थायी बाँध बनाये जाने एवं 24 इंच को डोंगा लगा देने के कारण इसलामपुर विधान-सभा क्षेत्र के तेल्हाड़ा और औंगारी के लोगों को नहर का पानी नहीं मिल पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उदेरास्थान के नहर से निकलने वाली पानी तेल्हाड़ा और औंगारी के लोगों को देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुत: उदेरास्थान बराज निर्माण योजना के दायां मुख्य नहर के 1.75 कि०मी० से जलवार शाखा नहर निसृत है, इस नहर के बायें 1.8 कि०मी० से तेल्हाड़ा शाखा नहर निसृत है जिसकी कुल लम्बाई 23.90 कि०मी० है । तेल्हाड़ा शाखा नहर के दायें तरफ 9.75 कि०मी० से औंगारी शाखा नहर निसृत है जिसकी लम्बाई 18.75 कि०मी० है ।

(2) फल्गू नदी बरसाती नदी है एवं पानी की उपलब्धता रहने के अनुसार ही नहरों में पानी प्रवाहित हो पाता है । नहर में जलस्राव कम रहने पर ग्रामीणों द्वारा अस्थाई बाँध का निर्माण कर पटवन का प्रयास किया जाता है जिसे नहर संचालन के दौरान विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हटा दिया जाता है । इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा लगाये गये 24" का डोंगा (आउटलेट) के मुँह को नहर संचालन के दौरान कम कर पानी आगे पहुँचाया जाता है ।

(3) उदेरास्थान बराज योजना अन्तर्गत तेल्हाड़ा शाखा नहर का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग हेतु 2290.00 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की गई है तथा औंगारी शाखा नहर का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग हेतु 1467.36 लाख रुपये के निविदा आमंत्रण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । दोनों कार्य को मार्च, 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । इस कार्य से उपरोक्त वर्णित समस्याएँ स्थाई रूप से समाप्त हो जायेगी एवं पूरे कमांड क्षेत्र में सुचारू रूप से बिना बाधा के सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-2. श्री रामसेवक हजारी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा प्रखण्ड के चंदौली वन कुरवा चौक से मुर्जौना दुर्गा स्थान तक सड़क अत्यंत जर्जर होने के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्कीकरण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.50 कि०मी० है जो काफी जर्जर है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण की जाने वाली पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है। अभी इस पथ के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

कार्रवाई करना

टन-1. श्री रामानन्द यादव--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहाँ प्रखण्ड में मुहल्ला दरियापुर कटैया घाट निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये 2 करोड़ 48 लाख एवं समसपुर त्रिवेणी घाट निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के लिये भी 2 करोड़ 48 लाख आवंटन कर जिला पदाधिकारी को भेजा गया और जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्य कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2012 को जिला पदाधिकारी, पटना को लिखित पत्र दिया गया कि टेंन्डर के माध्यम से कार्य कराया जाय, परन्तु विभागीय कार्य घटिया किस्म का हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई एवं टेन्डर कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । पटना जिलान्तर्गत फतुहाँ के पुनपुन एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर कटैया घाट एवं त्रिवेणी घाट के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के निमित्त दोनों घाटों के लिये क्रमशः 248.852 लाख एवं 248.852 लाख रुपये कुल 497.704 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना उद्व्यय से प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः 25-25 लाख रुपये कुल 50.00 लाख रुपये की विमुक्ति विभागीय राज्यादेश संख्या 223 एवं 224, दिनांक 25 जनवरी, 2012

द्वारा की गयी । उक्त दोनों कार्य जिला पदाधिकारी, पटना की देख-रेख में कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पटना द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । माननीय स०वि०स० द्वारा लिखित पत्र पर कार्रवाई करते हुये जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा तत्काल कार्य पर रोक लगा दी गयी है । इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 36 सह-पठित ज्ञापांक 1418, दिनांक 15 मई, 2012 द्वारा इस आदेश के निर्गत की तिथि से राज्य निधि अन्तर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से होना निश्चित किया गया है । उल्लेखनीय है कि दोनों कार्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक जनहित याचिका दायर की गयी है, जिसमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जा चुका है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

(3) पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपने पत्रांक 2307, दिनांक 30 जुलाई, 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना से उक्त दोनों कार्यों से संबंधित एक प्रतिवेदन की माँग की गयी है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

मरम्मतीकरण कराना

ग्राम्य-5. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना सदर प्रखण्ड के जल्ला सोनामा रक्षा बाँध से कच्ची दरगाह तक पथ पर भारी वाहनों का आवागमन से रक्षा बाँध सोनामा से नत्थाचक तक पथ अत्यंत जर्जर हो गयी है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ लगभग 2 कि०मी० ग्रामीण पथ है । एन०एच० 30 पथ वाहनों के जाम होने की स्थिति में प्रश्नाधीन पथ से होकर वाहनों का आवागमन होता है जिसके कारण पथ की विशेष स्थिति अच्छी नहीं है । पथ के विशेष मरम्मती पर अनुमानित लागत 50 लाख (पचास लाख) रुपये लागत आयेगी ।

इस वित्तीय वर्ष में मरम्मती की जाने वाली पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । कार्यपालक अभियंता से प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् सरकार समुचित निर्णय लेगी ।

सड़क पक्कीकरण कराना

ग्राम्य-22. श्री रतनेश सादा--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड के मलौधा से मधेपुरा सीमा तक जो बैट मुसहरी, डीह टोला दलित बस्ती से होते हुये बसनही महादलित टोला तक कच्ची सड़क जाती है, पक्की सड़क नहीं रहने के कारण वहाँ के नागरिकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो उक्त कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड के मलौधा से मधेपुरा सीमा तक जो वैट मुसहरी, डीह टोला दलित बस्ती से होते हुये बसनही महादलित टोला तक की कच्ची सड़क की लम्बाई 1.25 कि०मी० है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 75 लाख (पचहत्तर लाख) रुपये है । मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस सड़क के संदर्भ में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सड़क निर्माण के संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-65. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्वास्थ्य केन्द्र से मजरहट, सकरपुर होते हुये चाँदनी चौक तक 10 कि०मी० सड़क का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि नहीं किया गया है जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्वास्थ्य केन्द्र से मजरहट, सकरपुर होते हुये चाँदनी चौक तक की सड़क की लम्बाई 9.2 कि०मी० है । इसका प्रारम्भिक 3.5 कि०मी० पथांश ईंट सोलिंग एवं शेष 5.7 कि०मी० पथांश कच्ची सड़क है जिसकी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 600 लाख (छः करोड़) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । आगे इसके निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

कोचस रजवाहा ठीक कराना

ज-3. श्री रामधनी सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सासाराम जिला के कोचस प्रखण्ड में एन०एच० 30 के नीचे कोचस रजवाहा में ग्राम-नौवा, सरोसार, नरवर, भगतगंज, हरदासपुर आदि गाँवों के सामने नहर ध्वस्त हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित गाँवों में कोचस रजवाहा से सिंचाई नहीं होती है, इसके बावजूद भी उन गाँवों के किसानों से पटवन शुल्क लिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन०एच० 30 के नीचे कोचस रजवाहा को ठीककर उक्त वर्णित ग्रामों में सिंचाई कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि कोचस वितरणी चौसा शाखा नहर के 5.68 कि०मी० से निसृत होती है । इसकी कुल लम्बाई 28.80 कि०मी० है । भगतगंज गाँव इस नहर के अंतिम भाग में है एवं कमांड क्षेत्र से बाहर है । नहर का यह भाग कंकड़ीली मिट्टी के कारण सेक्शन में नहीं है ।

(2) भगतगंज गाँव को छोड़कर अन्य गाँवों में नहर की स्थिति ठीक है एवं पटवन सुचारू रूप से होती है । पटवन क्षेत्र से संबंधित किसानों से ही पटवन शुल्क की वसूली की जाती है ।

(3) भगतगंज ग्राम कोचस रजवाहा के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, अन्य ग्रामों में सिंचाई की जा रही है ।

पुल बनाना

त्र-7. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के पण्डौल प्रखण्ड के सलेम गाँव के पास बिदेशर ब्रौंच कनाल पर बना पुल 10 वर्ष पूर्व टूट गया है जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--यह सही है कि बिदेश्वर स्थान उप-शाखा नहर के वि०दू० 59.80 पर का पुल क्षतिग्रस्त है। परन्तु इस पुल के 900 फीट अप स्ट्रीम में द्विपथीय सेतु निर्मित है, जिससे ग्रामीणों का आवगमन चालू है। फिर भी उक्त क्षतिग्रस्त पुल को वित्तीय वर्ष 2012-13 में बनाने का कार्यक्रम है।

सोलिंग एवं कालीकरण कराना

त्र-9. डॉ० रंजू गीता--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखण्ड के सोनबर्षा भाया बाजपट्टी, पुपरी से दरभंगा जिला अग्रोपट्टी तक अधवारा नदी के दोनों तरफ से सुरक्षा तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है, परन्तु तटबंध के दोनों तरफ सोलिंग का प्रावधान नहीं होने से आवागमन अवरुद्ध है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तटबंध का सोलिंग/कालीकरण कराकर आवागमन को सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि अधवारा नदी अवस्थित बायें एवं दायें तटबंधों को क्रमशः सोनबरसा ग्राम से एग्रोपट्टी तथा सोनबरसा ग्राम से मकिया तक 87.60 कि०मी० की लम्बाई में ऊँचीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य तथा 40 अदद बाढ़ निरोधी संरचनाओं के निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना कार्य को दिनांक 15 जून, 2013 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। उक्त योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सड़क निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

माईनर का जीर्णोद्धार कराना

त्र-24. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी विधान-सभा क्षेत्र के उदेरास्थान योजना अन्तर्गत हवलीपुर बायां मुख्य नहर से निकलने वाली कूरे माईनर जर्जर रहने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूरे माईनर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उदेरास्थान बराज योजना के बायां मुख्य नहर के 1.8 कि०मी० से हबीबलीपुर शाखा नहर निसृत होती है इसके 2.80 कि०मी० से कूरे माईनर निसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 3 कि०मी० है एवं कमांड क्षेत्र 200 हे० है।

उदेरास्थान बराज योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 531.01 करोड़ रुपया है, जिसमें कूरे माईनर की प्राक्कलित राशि 97.88 लाख रुपये भी सम्मिलित है। इस नहर के जीर्णोद्धार के लिये निविदा की कार्रवाई प्रगति में है।

कटाव रोकना

ज-28. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा अंचलान्तर्गत ग्राम-सलेमपुर से मात्र 100 मीटर उत्तर में गंगा नदी का कटाव विगत 3 वर्षों से जारी रहने से उक्त गाँव को नदी में विलीन होने का खतरा बना हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार जान-माल की सुरक्षा हेतु वर्णित स्थल पर कटाव अवरोधक कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा अंचल के सलेमपुर गाँव के पास गंगा नदी से कई स्थलों पर कटाव हो रहा है जो लगभग 300 मीटर दूर है । सलेमपुर गाँव के अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में कोई तटबंध नहीं है ।

बाढ़ 2012 के बाद तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी परामर्श पर अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-84. श्री सबा जफर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत अमौर विधान-सभा क्षेत्र के ग्राम परतिया से आमगाछी भाया हाटगाछी हक्का तक सड़क के जर्जर रहने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार कबतक उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिलान्तर्गत अमौर विधान-सभा क्षेत्र के ग्राम-परतिया से आमगाछी भाया हाटगाछी हक्का तक की सड़क की लम्बाई 7 कि०मी० है । यह कच्ची ग्रामीण सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 420 लाख (चार करोड़ बीस लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-97. श्री सबा जफर--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत अमौर विधान-सभा क्षेत्र के कसबा-गेरुआ पथ की स्थिति बिल्कुल जर्जर है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिलान्तर्गत अमौर विधान-सभा के कसबा-गेरुआ तक सड़क की लम्बाई 16 कि०मी० है । इस सड़क का प्रारंभिक 13 कि०मी० पथांश पूर्व कालीकृत एवं शेष 3 कि०मी० पथांश कच्ची सड़क है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 960 लाख (नौ करोड़ साठ लाख) रुपये है। इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । इस सड़क के निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य-77. **श्री संतोष कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत वायसी प्रखण्ड के अधीन अमौर पी०डब्लू०डी० पथ से तारावारी गाँव तक कच्ची सड़क है, जिसके कारण बरसात के दिनों में आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है, यदि हां, तो सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियां जिलान्तर्गत वायसी प्रखण्ड के अधीन अमौर पी०डब्लू०डी० पथ के 7वें कि०मी० से तारावारी गाँव तक जानेवाली कच्ची सड़क की लम्बाई 3 कि०मी० है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 180 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किये जाने वाले पथों/पुलों का चयन किया जा चुका है । आगे इसके निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य-78. **श्री संतोष कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां, डगरूआ प्रखण्ड के अधीन मनी पंचायत के मीणापुर से बनौली-झौआ होते हुये अमना तक कच्ची सड़क जर्जर है, जिससे बरसात के दिनों में उक्त कच्ची सड़क पर आना मुश्किल हो जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ को पक्कीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है प्रश्नाधीन पूर्णियां जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखण्ड के अधीन मनी पंचायत के मीणापुर से बनौली-झौआ होते हुये अमना तक की कच्ची ग्रामीण सड़क की लम्बाई 5 कि०मी० है । वर्तमान में इस सड़क की स्थिति ठीक नहीं है । इस सड़क के पक्कीकरण की अनुमानित लागत 300 लाख (तीन करोड़) रुपये है । यह सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुनरीक्षित कोरनेटवर्क के CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List) में सम्मिलित है । एन०आर०आर०डी०ए०, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इस सड़क का पक्कीकरण कराया जा सकेगा ।

दोषी पर कार्रवाई

त्र-13. **श्री सुबोध राय**--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सुल्तानगंज प्रखण्ड में बहुआ नहर क्षेत्र के क्षतिग्रस्त तटबंधों का जीर्णोद्धार एवं डिसिल्टिंग का कार्य विगत एक वर्ष पूर्व किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य प्राक्कलित राशि के अनुरूप नहीं होने के कारण तटबंध पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राक्कलित राशि के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) बदुआ जलाशय योजनान्तर्गत वर्ष 2004 में 977.91 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति से योजना के नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कराया जा रहा था । यह योजना नाबार्ड मद से मार्च, 2009 तक कराया गया जिसपर लगभग 803.25 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

संदर्भित प्रश्न योजना के सुल्तानगंज प्रखण्ड अन्तर्गत नहरों के जीर्णोद्धार एवं डिसिल्टिंग कार्य से संबंधित है । बदुआ जलाशय योजना के बायें मुख्य नहर प्रणाली अन्तर्गत अठौरिया उप-वितरणी सुल्तानगंज प्रखण्ड में अवस्थित है जिससे लगभग चार वर्ष पूर्व कार्य कराये गये हैं ।

(2) नहर संचालन एवं वर्षा के कारण इस अवधि में नहर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है ।

(3) वर्णित नहर कच्ची है अतएव नहर संचालन एवं वर्षा के कारण कार्य के पश्चात् रूपांकित आकार में नहीं रह पाता है । यह एक सामान्य प्रक्रिया है । नहर में हुई क्षति के संपोषण एवं मरम्मती हेतु हरेक वर्ष सामान्य संपोषण मद से आवश्यक मरम्मती कार्य कराकर पटवन कार्य कराया जाता है ।

पथ की मरम्मती

ग्राम्य-81. श्री शैलेश कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखण्ड अन्तर्गत खड़गपुर-बरियारपुर पी०डब्लू०डी० पथ से धपड़ी मोड़-बढ़ोना तक पथ काफी जर्जर स्थिति में है जो दो प्रखण्डों को जोड़ने के साथ-साथ पाँच पंचायतों का मुख्य पथ है, यदि हां, तो क्या सरकार धमड़ी मोड़ से बढ़ोना तक पथ की मरम्मती कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थित यह है कि प्रश्नाधीन मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखण्ड अन्तर्गत खड़गपुर बरियारपुर पी०डब्लू०डी० पथ से धपड़ी मोड़-बढ़ोना तक के पथ की लम्बाई 3.1 कि०मी० है । यह पूर्व कालीकृत पथ है जो वर्तमान में ठीक स्थिति में नहीं है । इस पथ की मरम्मती की अनुमानित लागत 95 लाख (पनचानबे लाख) रुपये है । इस वित्तीय वर्ष में पथों की मरम्मती योजना के तहत जिन पथों की मरम्मती की जानी है, उसका आवंटन आदेश निर्गत किया जा चुका है । आगे प्रश्नाधीन पथ की मरम्मती पर विचार किया जा सकेगा ।

कार्य पूर्ण कराना

त्र-2. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन का कार्य मार्च, 2010 से प्रारम्भ होकर मार्च, 2012 तक पूर्ण होना था;

(2) क्या यह बात सही है कि मार्च, 2012 तक पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सुखाड़ में हजारों किसान खरीफ फसल की सिंचाई से वंचित हो गये हैं, इससे प्रभावित क्षेत्र में खरीफ फसल के पैदावार में कमी होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिये पुनर्स्थापन का कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी कोशी नहर प्रणाली में खरीफ सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है तथा सिंचाई कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

(3) पुनर्स्थापन कार्य को दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

योजना का कार्यान्वयन

च-1. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन अभीतक नहीं हो पाया है, न ही राशि प्राप्त हुई है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कटिहार जिला में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की योजनाओं के चयन हेतु जिला चयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 6 नवम्बर, 2011 को एवं योजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण हेतु द्वितीय बैठक दिनांक 24 मार्च, 2012 को सम्पन्न हुई ।

2. विभागीय पत्रांक 30 (आवंटन), दिनांक 9 सितम्बर, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-1, कटिहार/कार्य प्रमण्डल-2, बारसोई को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 944.00 लाख रुपये का आवंटित किया गया था परन्तु तकनीकी कारणों से उक्त राशि का आहरण नहीं हो सका और राशि प्रत्यर्पित कर दी गयी ।

3. उपर्युक्त कारणवश योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो सका ।

4. विभागीय पत्रांक 35 (आवंटन), दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-1, कटिहार एवं कार्य प्रमण्डल-2, बारसोई के पदनाम से वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में वार्षिक पात्रता के आधार पर 707.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । योजनाओं के चयन हेतु जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-88. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा प्रखण्ड अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में ही मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत चिकसौरा से मकरी होते खपपुरा तक ग्रामीण पथ का निर्माण आजतक नहीं हो पाया है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में एकरारनामा संख्या 26 एफ० 02/2006-07 के अनुसार कार्य 27 सितम्बर, 2007 तक संवेदक श्री सरोज

कुमार को कार्य पूर्ण करना था, परन्तु संवेदक के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूरा नहीं किया है। एकरारित पथ के लगभग आधे लम्बाई में स्टोन मेटल ग्रेड-III तक कार्य किया गया है। काफी समय से कार्य बन्द किये हुये हैं। संवेदक को मौखिक एवं लिखित स्मार दिया गया है, परन्तु संवेदक के द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार एकरारनामा में प्रावधानित दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्नाधीन पथ को बरसात के बाद पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आवासों की मरम्मती

त-2. श्री विक्रम कुँवर--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के रघुनाथपुर और हुसैनगंज सदर प्रखण्डों के कर्मचारियों के आवास की स्थिति अतिजर्जर है तथा पिछले दस वर्षों में इन आवासों की मरम्मती नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के आवासों की मरम्मती कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है। सीवान जिला के प्रखण्डों के कर्मचारियों के आवास के मरम्मती/जीर्णोद्धार का प्राक्कलन प्राप्त हुई थी जिसे भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 5852, दिनांक 21 जून, 2011 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीवान से प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीवान को पत्रांक 431, दिनांक 2 मार्च, 2012 द्वारा निदेशित की गयी है।

इसी बीच दिनांक 16 जुलाई, 2012 से नये अनुसुचित दर के प्रभावी होने के फलस्वरूप पत्रांक 1370, दिनांक 2 अगस्त, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीवान को जिला पदाधिकारी से राशि के अनुरूप प्राथमिकता कराकर नये अनुसूचित दर पर प्राक्कलन गठित कर भेजने का निदेश दिया गया है।

आवागमन चालू कराना

ग्राम्य-20. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखण्ड के जी०टी० रोड गोपालपुर से नकनूपा जी०टी० रोड से महमदपुर, घोड़वाडीह से फजलाहा, डोभी प्रखण्ड के जी०टी० रोड से कुशा होकर के सापी एवं आमस प्रखण्ड के जी०टी० रोड से सिहुली, जी०टी० रोड से होकर कोरमथु एवं जी०टी० रोड से चिताब खुर्द तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, आवागमन बाधित रहता है;

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन प्रश्न में कुल सात पथों से संबंधित है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 21 कि०मी० है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:--

(i) जी०टी० रोड गोपालपुर से नकनुपा पथ की लम्बाई लगभग 4 कि०मी० है।

(ii) जी०टी० रोड से मोहम्मदपुर तक पथ की लम्बाई लगभग 3 कि०मी० है।

(iii) घोड़वाडीह से फजलाहा पथ की लम्बाई लगभग 2 कि०मी० है।

(iv) जी०टी० रोड से कुशा होकर के सापी तक पथ की लम्बाई लगभग 3 कि०मी० है जिसमें 1 कि०मी० कालीकृत एवं 2 कि०मी० में हार्ड सल्फेक्स है ।

(v) जी०टी० रोड से सिहुली तक पथ की लम्बाई लगभग 1.5 कि०मी० है ।

(vi) जी०टी० रोड से होकर कोरमथु पथ की लम्बाई लगभग 3 कि०मी० है जो पी०एम०जी०एस०वाई० योजना से 2003 में बना था ।

(vii) जी०टी० रोड से चिताब खुर्द तक पथ की लम्बाई लगभग 4.5 कि०मी० है ।

उपरोक्त कुल सातों पथों का निर्माण लगभग 8-9 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है । इन पथों में मरम्मती पर कुल अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपये आयेगी । इस वित्तीय वर्ष में पथों के मरम्मती हेतु सर्वेक्षण कराकर पथों का चयनित हो चुका है ।

(2) यथा खण्ड (1) ।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य-67. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखण्ड के जल्की पंचायत अन्तर्गत जंगीपुर पी०डब्लू०डी० सड़क से पोलीबाजार-रामपुर ब्रीज होते हुये महेन्द्र चौक-वारसोई पी०डब्लू०डी० सड़क तक 6 कि०मी० पक्की सड़क नहीं रहने के कारण जल्की, मल्लिकपुर, कायघट्टा, बघौरा, महेशपुर पंचायतों के करीब 22 हजार आम जनता के समक्ष आवागमन का घोर संकट है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कटिहार जिला के आजमनगर प्रखण्ड के जल्की पंचायत अन्तर्गत जंगीपुर पी०डब्लू०डी० सड़क से पोली बाजार, रामपुर ब्रीज होते हुये महेन्द्र चौक, वारसोई पी०डब्लू०डी० सड़क तक सड़क की लम्बाई 6 कि०मी० है जो कच्ची ग्रामीण सड़क है । इस सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 360 लाख (तीन करोड़ साठ लाख) रुपये है । मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस सड़क के संदर्भ में प्रारम्भिक प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रश्नाधीन सड़क के पक्कीकरण के संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

मरीज चिह्नित करना

अ0सू0-1. श्री अवधेश राय--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में डेंगू बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभिन्न जिलों में डेंगू के कई मरीज चिह्नित किये गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इससे निबटने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है और अबतक कितने मरीज चिह्नित कर अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किये गये हैं ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । विगत महीनों में डेंगू रोगी प्रतिवेदित हो रहे थे परन्तु अब मरीजों की संख्या में कमी आ रही है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) सरकार द्वारा डेंगू रोग की रोक-थाम हेतु कारगर कार्रवाई की गई है । राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गयी है । डेंगू की जाँच हेतु राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एलिसा रीडर एवं एलिसा टेस्ट किट उपलब्ध है । डेंगू प्रभावित इलाके में मलाथियान की फौगिंग करायी जा रही है । वर्तमान में 40 फौगिंग मशीनें उपलब्ध हैं तथा अतिरिक्त फौगिंग मशीनों का क्रय किया जा रहा है । संचार माध्यमों द्वारा डेंगू से बचाव के लिये जनता को जागरूक किया जा रहा है । दिपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों के सहयोग के लिये चिकित्सकों द्वारा एक सप्ताह का राहत शिविर प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लगाया गया था । सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य विभाग में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया था । नगर विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर डेंगू के रोक-थाम हेतु आवश्यक पहल की गयी है ।

अबतक 774 रोगी डेंगू से ग्रसित एवं 1176 संदिग्ध रोगी प्रतिवेदित हुये हैं इसमें अधिकांश रोगी अपना इलाज कराकर स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं । सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से डेंगू को नियंत्रित कर लिया गया है ।

पुनर्वासित कराना

पुन-1. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के सिकटी प्रखण्ड में बकरा नदी के कटाव से पीड़ित पचास परिवार तीन वर्षों से तीराहाट पर अस्थायी निवास बना लिया है;

(2) यदि हां, तो इन विस्थापित परिवारों को सरकार पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्षों में मात्र 22 परिवार विस्थापित हुये थे, जिसमें तीराहाट पर मात्र 10 परिवार अस्थायी रूप से निवास करते हैं । अन्य अपने जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं ।

(2) उक्त 10 (दस) विस्थापित परिवारों के लिये तीराहाट के सटे खाता सं० 392, खेसरा सं० 617, रकबा 19 एकड़ 23 डिसमील जो बिहार सरकार की गैर-मजरूआ आम भूमि है, में से बन्दोबस्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है एवं बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है ।

भवन का निर्माण

सामु-1. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी एवं खजौली प्रखण्ड कार्यालय भवन को उपद्रवी तत्वों द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2012 को जलाकर बर्बाद कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे प्रखण्ड परिसर के भवन एवं उपस्करों को जला देने के कारण प्रखण्ड कार्यालयों के कार्यों का निष्पादन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त बासोपट्टी एवं खजौली प्रखण्डों के भवन का निर्माण एवं उपस्करों की आपूर्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी से बासोपट्टी एवं खजौली प्रखण्ड कार्यालय भवन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् बासोपट्टी एवं खजौली प्रखण्ड के कार्यालय भवन का निर्माण नई तकनीकी से कराने के लिये विभाग द्वारा चयनित वास्तुविदों से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार कराया जायेगा ।

डी०पी०आर० तैयार हो जाने के पश्चात् भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

(3) कंडिका (2) के आलोक में कार्रवाई की जा रही है ।

भवन की मरम्मती

सामु-**4. श्री अशोक कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान-सभा क्षेत्र में वारिसनगर प्रखण्ड कार्यालय भवन स्टाफ क्वार्टर मरम्मती के अभाव में जर्जर हो गया है, यदि हां, तो क्या सरकार वारिसगनर प्रखण्ड कार्यालय के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 137 नवसृजित प्रखण्डों एवं वैसे प्रखण्ड भवन जो ध्वस्त हो चुके हैं अथवा खतरनाक घोषित हो चुके हैं, में नई तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जाना है । प्रथम चरण में 38 नये प्रखण्डों के भवन निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को दी जा चुकी है ।

विभागीय पत्रांक 128, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा सभी जिलों से प्रखण्ड कार्यालय भवन की भौतिक स्थिति के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन माँगा गया था । समस्तीपुर जिला द्वारा भी प्रखण्ड कार्यालय के जर्जर होने के संबंध में जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, उसमें वारिसनगर प्रखण्ड कार्यालय शामिल नहीं है ।

वारिसनगर प्रखण्ड चूँकि पुराना प्रखण्ड है इसलिए सरकार इन सभी पुराने प्रखण्डों में नई तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण कराने के लिये कृतसंकल्प है, जिनका निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा ।

पथ का निर्माण

पथ-23. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के अन्तर्गत मंझवे-नरहट-फतेहपुर-ककोलत-दर्शन नाला पथ एन०एच० 103 की स्थिति जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को परिचालन में काफी कठिनाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ से होकर बोधगया से ककोलत पर्यटकों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है तथा उक्त पथ बिहार एवं झारखण्ड राज्य को जोड़ती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) प्रश्नाधीन पथ राज्य उच्च पथ के रूप में सरकार द्वारा घोषित है । इसका डी०पी०आर० तैयार करने हेतु प्रक्रिया प्रगति में है ।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ-3. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के अनीसाबाद से खगौल तक सड़क के बीच एन०एच० 98 का हिस्सा पिछले दो वर्षों से अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है तथा प्रायः दुर्घटनायें होती रहती है, यदि हां, तो क्या सरकार अनिसाबाद से खगौल पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिकस्वीकारात्मक है । वर्णित पथांश एन०एच० 98 (कि०मी० 0.0 से कि०मी० 3.25) का चौड़ीकरण कार्य वर्ष 2009-10 में कराया गया था । वर्ष 2009-10 से अभीतक इसे DLP एवं अनुरक्षण मरम्मती मद से Motorable रखा गया है । वर्तमान में इसके मरम्मत के लिये आई०आर०क्यू०पी० योजनान्तर्गत 589.90 लाख रुपये का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, रा०उ०प० उप-भाग के पत्रांक 80, दिनांक 21 मई, 2012 द्वारा मंत्रालय को समर्पित है । यह स्वीकृति की प्रक्रिया में है ।

स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य करा दिया जायेगा ।

पथ का पक्कीकरण कराना

पथ-17. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत भोरे प्रखण्ड अन्तर्गत भोरे से भेंगारी तक के पथ की स्थिति 1990 से मरम्मती के अभाव में काफी जर्जर हो जाने के कारण आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में अधि ग्रहण कर पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ का नाम भेंगारी-भोरे-बगही-बयसीया-पंचदेवरी-मिश्रौली है जिसकी कुल लम्बाई 29.00 कि०मी० है । विभागीय अधिसूचना सं० 3299 (ई०) पटना, दिनांक 27 जून, 2011 द्वारा पथ का अधिग्रहण किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं० 9766 (एस), दिनांक 29 अगस्त, 2011 द्वारा राज्य उच्च पथ सं० 94 घोषित किया गया । विभागीय पत्रांक 12168 (एस),

दिनांक 23 नवम्बर, 2012 द्वारा अन्तर्राज्यीय सम्पर्कता योजना के तहत 21.4744 करोड़ (एक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चौवालीस हजार) रुपये की लागत पर प्राक्कलन तैयार कर भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है । स्वीकृति के पश्चात् इस कार्य को कराया जायेगा ।

व्यवहार न्यायालय खोलना

र-1. श्री चितरंजन कुमार--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला में अभीतक जिला व्यवहार न्यायालय नहीं है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है । इस हेतु आधारभूत संरचना की उपलब्धता आवश्यक है । इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्राथमिकता सूची निर्धारित की गयी है जिससे अरवल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना का मामला 'क्रम सं० 8' पर है ।

संप्रति अरवल में न्यायालय स्थापना हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है । क्रमानुसार आधारभूत संरचना पूर्ण किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से ही अरवल में न्यायालय स्थापना का निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

भवन का निर्माण

सामु-8. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दरियापुर एवं परसा प्रखण्ड का प्रखण्ड भवन एवं आवासीय भवन विगत 50 वर्षों पूर्व बना था जो जर्जर है तथा प्रखण्ड कार्यालय कार्य के साथ आवासितों को कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड भवन एवं आवासीय भवन का पुनः निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 137 नवसृजित प्रखण्डों एवं वैसे प्रखण्ड भवन जो ध्वस्त हो चुके हैं अथवा खतरनाक घोषित हो चुके हैं, में नई तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जाना है । प्रथम चरण में 38 नये प्रखण्डों के भवन निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को दी जा चुकी है ।

विभागीय पत्रांक 128, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा सभी जिलों से प्रखण्ड कार्यालय भवन की भौतिक स्थिति के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन माँगा गया था । सारण जिला द्वारा प्रखण्ड कार्यालय के जर्जर होने के संबंध में जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, उसमें दरियापुर एवं परसा प्रखण्ड कार्यालय भी शामिल है ।

दरियापुर एवं परसा प्रखण्ड चूँकि पुराना प्रखण्ड है इसलिए सरकार इन सभी पुराने प्रखण्डों में नई तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण कराने के लिए कृतसंकल्प है, जिनका निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा ।

राशि का वितरण कराना

पुन-2. श्री दामोदर सिंह--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखण्ड में आये बाढ़ से प्रभावित बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत और राशि वितरण करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने पत्रांक 559, दिनांक 24 अगस्त, 2012 के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से 28 लाख रुपये की माँग की है;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक उक्त राशि नहीं मिलने के कारण बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत और राशि नहीं वितरण किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत और राशि का वितरण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आँशिक स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 559/आ०प्र०, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा राशि की अधियाचना की गई है ।

(2) विभागीय पत्रांक 60 (सा०अनु०), दिनांक 29 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण मद में 25.275 लाख रुपये एवं विभागीय पत्रांक 61 (सा०अनु०), दिनांक 29 नवम्बर, 2012 द्वारा नि:सहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद में 3.00 लाख रुपये आवंटित कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

मरम्मती कराना

पथ-6. श्रीमती देवंती यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के महथावा-भरगामा पथ का निर्माण दो वर्ष पूर्व हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि गुणवत्ता के कमी के कारण उक्त पथ की स्थिति अतिजर्जर हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराते हुये मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) से (3) प्रश्नगत पथ में आई०आर०क्यू०पी० कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व पूर्ण किया गया था । कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पथ की स्थिति अच्छी है ।

पी०सी०सी० सड़क का निर्माण

च-1. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड के (1) प्रेमनगर ग्राम में तुनीया टोला महेन्द्र महतो के घर से ब्रह्मस्थान जानेवाली सड़क पी०सी०सी० निर्माण कार्य एवं (2) प्रेमनगर

एन०एच० 77 सुरेश साह के दुकान से लालबाबू झा के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण सहित कुल 20 योजनाओं मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में चयन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं को आजतक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के प्रेमनगर ग्राम में नुनीया टोला महेन्द्र महतो के घर से ब्रह्मस्थान जानेवाली पी०सी०सी० सड़क निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है ।

प्रेमनगर एन०एच० 77 सुरेश साह के दुकान से लालबाबू झा के घर पी०सी०सी० सड़क निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति अंचल अधिकारी, रून्नीसैदपुर से भूमि की उपलब्धता संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है ।

रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत चयनित कुल 20 योजनाओं में से 10 योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । शेष 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण नहीं दी गई है ।

(3) रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत चयनित परन्तु भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण जिन 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है, उन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रदान कर दी जायेगी ।

पुल का निर्माण

पथ-5. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के गिद्धा से फुलवरिया ग्राम्य पथ में फुलवरिया घाट पर पुल निर्माण हेतु मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में चयन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल निर्माण हेतु उक्त योजना का चयन होने के बावजूद भी आजतक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिले के लिये कुल आवंटन 13,20,55,400 रुपये कर्णांकित राशि थी । जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति है, जिसके निर्णयानुसार मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत क्षेत्रीय समानता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक विधायक/विधान पार्षद/जिला स्तर पर दिनांक 5 मार्च, 2011 को सम्पन्न जिला संचालन समिति की बैठक में क्रमशः 100.00 लाख, 100.00 लाख एवं 320.854 लाख रुपये कर्णांकित किया गया था । माननीय स०वि०स० श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा 26.00 लाख रुपये से नीचे की लागत वाली कुल 19 अनुशंसित योजनाओं के विरुद्ध 10 योजनाएँ स्वीकृत की गयी है, जिनकी कुल प्राक्कलित राशि 208.61 लाख रुपये है । इस प्रकार माननीय

स०वि०स० के लिये शेष राशि नयी योजनाओं की स्वीकृति के लिये नहीं बच जाती है । इसी प्रकार अन्य माननीय स०वि०स० द्वारा अनुशंसित योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(3) आवंटन उपलब्ध होने पर जिला संचालन समिति की बैठक के निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क का निर्माण

पथ-11. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड स्थित घोघरडीहा-हटनी पथ निर्माणाधीन है तथा हटनी से हड़री-बसखोरा (सुपौल सीमा) तक निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है, यदि हां, तो क्या सरकार हटनी से हड़री-बसखोरा तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ का अधिग्रहण विभागीय पत्रांक 4574 (ई०) अनु०, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 द्वारा किया गया है । पथ की कुल लम्बाई 10.00 कि०मी० है ।

1. घोघरडीहा से हटनी--लम्बाई 5.20 कि०मी० का कार्य पूर्ण है ।

2. हड़री-बसखोरा (सुपौल सीमा)--ग्रामीण कार्य विभाग पथ का हस्तानान्तरण दिनांक 6 सितम्बर, 2011 को दिया गया है । वर्ष 2013-14 के कार्य योजना में शामिल कर कार्य कराया जायेगा ।

सड़क की मरम्मती

पथ-21. श्री ललन राम--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत एन०एच० 139 से देव सूर्य मन्दिर तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--एन०एच० 13 से सूर्य मन्दिर जाने वाली पथ (अम्बा-देव पथ) की लम्बाई 17 कि०मी० है । यह पथ LWE Phase-II में चयनित है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराने हेतु प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को समर्पित है । स्वीकृति के उपरान्त उक्त पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जायेगा ।

पथों का निर्माण

पथ-24. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत एन०एच० 107, गोकुलपुर से भाया जगन्नाथपुर-करहा-मसुरिया जाने वाली पथ तथा धमदाहा पी०डब्लू०डी० पथ से हरिणकाल होते हुये ककरबद्धा-कुआँड़ी पी०डब्लू०डी० पथ तक जानेवाली पथ को पथ निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में अधिग्रहित किया गया है, परन्तु सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथों का निर्माण का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल कर पथ का निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

सूचना न उपलब्ध कराने का औचित्य

ई-1. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 869, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 द्वारा आदेश निर्गत है कि माननीय सदस्यों के लिखे पत्र की प्राप्ति सूचना 15 दिनों के अन्दर एवं कृत-कार्रवाई से एक माह के अन्दर सूचित किया जाय;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 169, दिनांक 20 जून, 2012 से कार्यपालक अभियन्ता, सर्व-शिक्षा अभियान, भोजपुर एवं पत्रांक 338/12, दिनांक 9 जनवरी, 2012 से जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से वांछित सूचना माँगी गयी है, परन्तु आजतक सूचना अप्राप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक सूचना न उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) संबंधित विभाग एवं पदाधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पुल का निर्माण

पथ-8. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल संख्या 2, पटना ने अपने पत्रांक 328 (अनु०), दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा गोपालगंज जिला के प्यारेपुर मौजा (प्रखण्ड बैकुण्ठपुर) एवं मुजफ्फरपुर जिला के पहाड़पुर मौजा (प्रखण्ड साहेबगंज) के बीच गंडक नदी के बंगरा घाट पर आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के लिये 62.26 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड, पटना को समर्पित किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल संख्या 2, पटना, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने पत्रांक 573 (अनु०), दिनांक 21 अप्रील, 2012 की उप-मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार राज्य अंचल, पटना को उक्त पुल के उपयोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पुल निर्माण के औचित्य को बतलाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक बंगरा घाट पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पथ का निर्माण

पथ-7. श्री मंजीत कुमार सिंह--दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2011 में प्रकाशित ''बनेंगे और स्टेट हाइवे'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के महम्मदपुर-छपरा पथ की लम्बाई 68.50 किलो मीटर की निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2011 में दी गई थी तथा मार्च, 2011 से कार्य प्रारम्भ किया जाना था;

(2) क्या यह बात सही है कि क्षतिग्रस्त महम्मदपुर-छपरा पथ का कार्य अबतक प्रारम्भ नहीं होने के कारण आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से सही है । वर्तमान स्थिति :--

मोहम्मदपुर-छपरा (राज्य उच्च पथ सं० 90) पथ की कुल लम्बाई 64.71 कि०मी० है । गोपालगंज जिला अन्तर्गत इस पथ की लम्बाई 17.270 कि०मी० (0-17.27 कि०मी०) तथा शेष 47.44 कि०मी० (17.270-64.710 कि०मी०) सारण जिला अन्तर्गत है । इस पथ के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2011 में दी गई थी तथा एकरारनामा के अनुसार अक्टूबर, 2011 से कार्य प्रारम्भ किया जाना था एवं कार्य प्रारम्भ किया गया ।

(2) नहीं । वर्तमान स्थिति :--

इस पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य अक्टूबर, 2011 से आरम्भ कर दिया गया है । वर्तमान में छपरा एवं भीठामोर के बीच करीब 24 कि०मी० की लम्बाई में कार्य जारी है । इस पथ के कि०मी० 0 से 20 के बीच पथ क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा पैदा होती है ।

(3) उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

पथ पुनर्निर्माण कराना

पथ-13. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत खरॉट-वारिसलीगंज तथा वारिसलीगंज-पकरीबरावाँ पथ में कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे वाहनों के परिचालन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ नवादा जिला को जमुई जिला से जोड़नेवाली महत्वपूर्ण पथ है, जिसपर हजारों वाहनों का प्रतिदिन आवागमन होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ को राज्य उच्च पथ में परिवर्तित कर पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) पथ प्रमण्डल, नवादा के अधीन वारिसलीगंज-खरॉट पथ जिसकी लम्बाई 11.10 कि०मी० मात्र है, में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का कार्यारम्भ दिनांक 25 मार्च, 2008 को की गई थी तथा कार्य समाप्त होने की तिथि 31 मार्च, 2011 थी तथा वारिसलीगंज पथ की लम्बाई 12.5 कि०मी० है । इसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य दिनांक 21 जनवरी, 2008 को प्रारम्भ की गई थी तथा कार्य समाप्ति की तिथि 3 जून, 2011 थी । दोनों पथों में डिफैक्ट लायब्लिटी पीरियड के अन्तर्गत दोनों पथों में संबंधित संवेदकों के द्वारा उभरे पैच पौट्स की मरम्मती समय-समय में की गई है एवं की जा रही है । फिलहाल राज्य उच्च पथ में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सड़कें एवं ड्रेन चौड़ा कराना

पथ-19. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी शहर के छतौनी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार

सरकार के भूतपूर्व मंत्री स्व० राजेन्द्र प्रताप सिंह के मूर्ति के मधुबनी रोड एवं ढाका रोड में ड्रेन एवं सड़कों की चौड़ाई महज 200 मीटर किया गया है जिस कारण प्राय: जल की निकासी एवं जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सड़कें एवं ड्रेन चौड़ा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथांश में पथ का ROB औसतन 30 से 40 मीटर है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि 200 मीटर की लम्बाई में नगर परिषद् द्वारा Drain बनाकर अधूरा छोड़ा गया है। करीब 200 मीटर अतिरिक्त नाला बनाने से सुचारू रूप से पानी की निकासी होने लगेगा। कार्यपालक अभियंता को उक्त कार्य को करने का निदेश दिया गया है।

मार्ग को मोटरेबुल कराना

पथ-14. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णियां राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं० 31 को चौड़ीकरण सहित फोरलेन निर्माण हेतु एन०एच०ए०आई० को वर्ष 2010 में हस्तांतरित की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि आवंटित पैकेजों में नियमानुसार अनुदान ग्राही मार्ग को मोटरेबुल रखना है, जबकि संवेदकों के द्वारा मार्ग को मोटरेबुल नहीं रखने से आमजन को काफी असुविधा हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को मोटरेबुल करवाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक। यह पथांश एन०एच०ए०आई० को वर्ष 2011 में हस्तांतरित किया गया है।

(2) यह पथांश एन०एच०ए०आई० नियुक्त संवेदक से पैट लेस रखने की कार्रवाई की जाती रही है एवं की जा रही है।

(3) इस पथांश को एन०एच०ए०आई० नियुक्त संवेदक द्वारा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं पथ की मरम्मती एवं पैट लेस रखने की कार्रवाई की जा रही है।

आवागमन चालू कराना

पथ-1. श्रीमती रंजू गीता--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड स्थित मधुबन बाजार से भाया बसहा, नरपुर, बंगराहा होते हुये मेजरगंज तक ग्रामीण सड़कों की विगत 10 वर्षों से मरम्मती नहीं होने के कारण आवागमन अवरुद्ध है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ की स्थिति जर्जर रहने के कारण भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रहने से आम आदमियों के साथ ही व्यापारियों को व्यापार करने में काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर ऊँचाईकरण, मिट्टीकरण एवं पक्कीकरण कर आवागमन को चालू कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सीतामढ़ी से Feasibility Report की माँग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

पथों की मरम्मती

पथ-18. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत मांझा प्रखण्ड अन्तर्गत सीवान-सरफरा पथ से ग्राम-कल्याणपुर तक जाने वाली पथ निर्माण विभाग की सड़क वर्ष 1910 से ही बिल्कुल टूट गयी है, जिससे आम लोगों को इन दोनों सड़कों पर आने-जाने में काफी असुविधा होती है, यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों पथों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि--

1. मांझा रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढाला से ग्राम-सरेया-अख्तियार तक पथ--पथ की लम्बाई 8.2 कि०मी० है । पथ की स्थिति साधारण है । साधारण मरम्मती की आवश्यकता है जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, गोपालगंज को निदेशित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल कर पथ के मजबूतीकरण का कार्य कराया जायेगा ।

2. सिवान-सरफरा पथ से ग्राम-कल्याणपुर जाने वाली पथ--पथ की लम्बाई 4.70 कि०मी० है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई०आर०क्यू०पी० कार्य हेतु सम्मिलित है । निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2013 है ।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ-16. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला से गोड्डा जिला को जोड़ने वाली सड़क त्रिमुहान-एकचारी-महगामा पथ विगत 5 वर्षों से जर्जर है, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । इस पथांश का 20.2 कि०मी० भाग बिहार राज्य में पड़ता है, जो त्रिमुहान से शुरू होकर एकचारी होते हुये बिहार राज्य के साहुपाड़ा/दिग्घी में 20.2 कि०मी० लम्बाई के बाद झारखण्ड राज्य से होकर महगामा तक जाती है । इस पथ का निर्माण 23 अप्रील, 2009 को कराया गया था ।

त्रुटि दायित्व अवधि दिनांक 24 अप्रील, 2012 तक संवेदक द्वारा पथ का रख-रखाव किया गया है । अभीतक पथ की स्थिति कि०मी० 9, 12, 16 एवं 17 को छोड़कर पथ के शेष भाग की स्थिति

ठीक है । पथ के क्षतिग्रस्त भाग कि०मी० 9, 12, 16 एवं 17 की मरम्मती हेतु साधारण मरम्मती मद से निविदा की गई है, जिसकी स्वीकृति के पश्चात् इस भाग को भी मार्च, 2013 तक ठीक करा लिया जायेगा ।

भवन निर्माण कराना

द-41. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया में वर्ष 2004 में ही कढ़ान, वैरिया, खजूरिया, डिलिया बाजार तथा 2008 में मठिया तथा हुसैनी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक किसी भी केन्द्र का ना तो भवन बन पाया है न ही डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण तथा डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजूरिया एवं डिलिया बाजार सरकारी भवन में संचालित है । कढ़ान-वैरिया-मठिया तथा हुसैनी के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध होने के पश्चात् ही भवन का निर्माण हो सकेगा । जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजूरिया डॉ० राजेश रंजन एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कढ़ान, वैरिया एवं ढिलिया बाजार में डॉ० अफताब आलम प्रतिनियुक्त हैं जो कार्य सम्पादित करते हैं ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पथ का निर्माण

पथ-4. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखण्ड अन्तर्गत बागमती नदी के माड़र घाट के निकट पुल मार्च, 2012 से बनकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के पहुँच पथ जर्जर रहने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा इसकी शिकायत मई, 2012 में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, सीतामढ़ी को करने के बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) से (4) वस्तुस्थिति यह है कि पुल के पहुँच पथ कार्य के लिये पुल निर्माण निगम द्वारा निविदा की गई है । निविदा की प्राप्ति की तिथि 4 दिसम्बर, 2012 है । निविदा निष्पादन के उपरान्त पहुँच पथ का कार्य कराया जायेगा । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 2013 है ।

कार्रवाई करना

च-2. डॉ० उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2, दानापुर द्वारा निविदा संख्या 02, दिनांक 9 अगस्त, 2012 को निकाला गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता कार्यालय से निर्गत सभी परिमाण विपत्र में दर के कॉलम में छेड़-छाड़ किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । इस प्रकार का कोई मामला सम्प्रति प्रतिवेदित नहीं है ।

(3) उपरोक्त कण्डिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

चहारदीवारी का निर्माण

साप्र-5. श्री वीरेन्द्र सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखण्ड कार्यालय परिसर में चहारदीवारी (घेराबन्दी) नहीं रहने के कारण प्रखण्ड कार्यालय परिसर में जानवरों को आना -जाना लगा रहता है, यदि हां, तो क्या सरकार वजीरगंज प्रखण्ड कार्यालय परिसर का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रखण्डों के चहारदीवारी का जीर्णोद्धार एवं निर्माण के लिए कृतसंकल्प है । इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्रांक 103164, दिनांक 8 मई, 2012 द्वारा सभी जिलों से विहित प्रपत्र में चहारदीवारी के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी है । राज्य सरकार चहारदीवारी के निर्माण के साथ-साथ राज्य के सभी पुराने प्रखण्डों में जन-सुविधा शौचालय के निर्माण के लिये प्रयासरत है । इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर इस दिशा में प्रयासरत है । इस हेतु विभागीय पत्रांक 104644, दिनांक 18 मई, 2012 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जन-सुविधा शौचालय से संबंधित अद्यतन प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । अपने जिला के पुराने प्रखण्डों की चहारदीवारी से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 127687, दिनांक 1 नवम्बर, 2012 द्वारा भी किया गया है । गया जिला द्वारा पुराने 18 प्रखण्डों की चहारदीवारी निर्माण एवं जीर्णोद्धार के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें वजीरगंज प्रखण्ड भी शामिल है । शेष सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सभी पुराने प्रखण्डों की चहारदीवारी निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

प्रखण्ड कार्यालय भवन बनाना

सापु-3. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड कार्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण कार्यालय कर्मियों एवं पदाधिकारियों को कार्य के निष्पादन में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार शेरघाटी में नया प्रखण्ड कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 137 नवसृजित प्रखण्डों एवं वैसे प्रखण्ड भवन जो ध्वस्त हो चुके हैं अथवा खतरनाक घोषित हो चुके हैं, में नयी तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जाना है । प्रथम चरण में 38 नये प्रखण्डों के भवन निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को दी जा चुकी है ।

विभागीय पत्रांक 128, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा सभी जिलों से प्रखण्ड कार्यालय भवन की भौतिक स्थिति के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन माँगा गया था । गया जिला द्वारा प्रखण्ड कार्यालय के जर्जर होने के संबंध में जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, उसमें शेरघाटी प्रखण्ड कार्यालय शामिल नहीं है ।

शेरघाटी प्रखण्ड चूँकि पुराना प्रखण्ड है इसलिए सरकार इन सभी पुराने प्रखण्डों में नई तकनीक से प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कमरा, परिसर विकास एवं आवास का निर्माण कराने के लिये कृतसंकल्प है, जिनका निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा ।

पेभर ब्लॉक का निर्माण

पथ-2. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत एन०एच० 99 का डोभी से गासाईडीह तक सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क के दोनों किनारों के बचाव हेतु कार्य नहीं कराये गये हैं, जिससे सड़क खराब हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये सड़क के दोनों किनारों में पेभर ब्लॉक का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । LWE-Phase-I के तहत भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात् रा०उ०प० सं० 99 के कि०मी० 0.00 (डोभी) से 11.5 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कराया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति योजना में पथ के दोनों किनारे पेभर ब्लॉक का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं था । Built-up Area में Paver Block तथा जहाँ Built_up Area नहीं है वहाँ पर Hard Shoulder का प्रावधान करते हुये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राक्कलन स्वीकृति होने पर कार्य कराया जायेगा ।

वरीयता का निराकरण

अ-3. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला समाहरणालय, मधुबनी के अधीनस्थ वर्ष 2004 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से चयनित लिपिकों के वरीयता का निर्धारण विगत चार वर्षों से नहीं होने के कारण वहाँ के कर्मचारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति बाधित है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वरीयता का निराकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(i) वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची निर्धारण करने हेतु औपबंधिक वरीयता सूची का दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रकाशन कर आपत्ति एवं सुझाव की माँग की गई । प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम वरीयता निर्धारण के क्रम में जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अपने पत्रांक 640, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा मार्ग-दर्शन की माँग की गयी है । याचित मार्ग-दर्शन वित्त विभाग से आवश्यक परामर्श प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 11352, दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा उन्हें दे दिया गया है । पुनः उनके द्वारा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता किस प्रकार निर्धारित होगी, इसपर परामर्श की अपेक्षा की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है ।

(ii) प्रशाखा प्रदाधिकारी का पद समाहरणालय लिपिक संवर्ग में नहीं है, अतः प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति बाधित रहने का प्रश्न नहीं है ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 186--डी०टी०पी०--400--